न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अरविन्द कुमार मिश्रा–II, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 – **1118 सन् 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** राजू उर्फ राजकुमार

मु0अ0सं0–**343** सन–**2025**
धारा–109(1) भारतीय न्याय संहिता व
धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना–लालगंज, जिला–मीरजापुर।

आरोप

मैं, अरविन्द कुमार मिश्रा–II, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्त **राजू उर्फ राजकुमार** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ –

1. यह कि दिनांक 29.08.2025 को समय अदम तहरीर, बहदस्थान चितांग क्षेत्रान्तर्गत थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर में आपने साशय पुलिस टीम पर जान से मारने के आशय से तमंचे से गोली चलाई, यदि इस गोली से पुलिस टीम के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में आने वाले मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–109(1) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, जिसे रखने हेतु आपके पास कोई अधिकार पत्र नहीं था तथा जिसका उपयोग पुलिस टीम पर फायरिंग में किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो आयुध अधिनियम की धारा–3/25/27 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–**07.04.2026**

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक–**07.04.2026**

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण सं0 **— 1118 सन् 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** राजू उर्फ राजकुमार

मु0अ0सं0—**343** सन—**2025**
धारा—109(1) भारतीय न्याय संहिता व
धारा—3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना—लालगंज, जिला—मीरजापुर।

07.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार जेरे हिरासत समक्ष न्यायालय उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार के विरूद्ध धारा—109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा—3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार के विरूद्ध धारा—109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा—3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 20.04.2026 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।